

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शिक्षा के तथ्यों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण

Dr. S. K. Mahto^{1*} Dr. Rani Mahto²

¹ Principal, Thakur Durgpal Singh Memorial B.Ed. College, RRBM University, Alwar, Rajasthan

² Assistant Professor, Thakur Durgpal Singh Memorial B.Ed. College, RRBM University, Alwar, Rajasthan

सारांश – बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक समरसता व मानवीय सदगुणों का विकास करने वाली बताया। विभिन्न विद्वानों व शिक्षाविदों ने शिक्षा का व्यापक संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया है। उसे अलग-अलग तरह से परिभाषित किया है। किसी ने उसे ज्ञान का तीसरा चक्षु कहा है तो किसी ने “सा विद्या या विमुक्तये” कोई उसे शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करने वाली बताया है तो कोई आन्तरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने वाली। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तकों लेखों तथा भाषणों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा की है। उन्होंने शिक्षा को जीवन का अभिन्न अंग मानकर, सामाजिक समता व लोकतान्त्रिक भावना का विकास करने वाले विषयों को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया। वे शिक्षण का माध्यम मातृभाषा को बनाना चाहते थे तथा शिक्षण की लोकतान्त्रिक विधि के पक्ष में थे जिससे कि सभी विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। बाबा साहेब विद्यालय को समाज का लघुरूप मानते थे, इसलिए उन्होंने विद्यालय में सामूहिक शिक्षा पद्धति पर बल दिया तथा विद्यालय में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के वातावरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को आत्मानुभूति व आत्मोन्नति करना व नैतिक विकास हो। उन्होंने कहा कि शिक्षक - शिक्षार्थी संबंध आत्मीयतापूर्ण तथा मित्रतापूर्ण होने चाहिए। छात्र को एक मित्र की भाँति शिक्षक को अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहिए तथा शिक्षक को यथासम्भव समस्या का समाधान कर छात्र की सहायता करनी चाहिए। बाबा साहेब कहते हैं कि दलितों व स्त्रियों की शिक्षा के बिना देश के विकास की बात करना दिन में सपने देखने जैसा है इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा सुझाये गये शिक्षा संबंधी आयाम भारतीय सामाजिक संरचनाओं का प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए सार्थक कदम था। अतः मनुष्य को स्वयं शिक्षित रहते हुए दूसरों को भी शिक्षित करते रहना चाहिए।

मुख्य शब्द - शिक्षा का अभिप्राय, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि, विद्यालय, शिक्षक शिक्षार्थी, स्त्री व दलित शिक्षा, उपादेयता।

-----X-----

शिक्षा का अभिप्राय

विभिन्न विद्वानों व शिक्षाविदों ने शिक्षा का व्यापक संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया है। उसे अलग-अलग तरह से परिभाषित किया है। किसी ने उसे ज्ञान का तीसरा चक्षु कहा है तो किसी ने “सा विद्या या विमुक्तये” कोई उसे शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करने वाली बताया है तो कोई आन्तरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने वाली। लेकिन बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इन से अलग हटकर शिक्षा को सामाजिक समरसता व मानवीय सदगुणों का विकास करने वाली बताया।

शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ शिक्षा वही है जो न केवल मनुष्य को साक्षर करे अपितु उसका मानसिक

विकास कर उसके आत्मभिमान व विवेक को भी जाग्रत करें। बाबा साहेब के शब्दों में -“समाज में शिक्षा ही समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तब उसमें विवेक - सोच की शक्ति पैदा हो जाती है। जिससे उसमें अच्छे बुरे का ज्ञान और निर्णय करने की क्षमता आ जाती है। शिक्षित व्यक्ति ही एकता के सूत्र में आबद्ध होकर संगठन का निर्माण कर सकते हैं। संगठन में ही शक्ति है और संघर्ष करने की क्षमता भी।

उपरोक्त उद्धरण से बाबा साहेब द्वारा दिया गया शिक्षा का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। शिक्षा को देश तथा समाज के विकास का साधन तो मानते ही थे साथ ही सामाजिक स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व की भावना का विकास का मार्ग भी मानते थे शिक्षा विनय और शील इन तीनों को बाबा साहेब ने अपना

आराध्य देव माना है। शिक्षा को प्रथम अराध्य मानते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा बिना मनुष्य शान्ति और मनुष्यता दोनों प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार अपने शारीरिक अस्तित्व को बनाये रखने के लिए मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही सामाजिक अस्तित्व के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु तुल्य है।

बाबा साहेब के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तकों लेखों तथा भाषणों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा की है। उन्होंने बौद्धिक विकास को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की उपेक्षा स्वतंत्र चिन्तन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केवल तथ्यों व सिद्धान्तों का पस्तिष्क में ठूस देना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि तथ्यों व सिद्धान्तों के मूल्यांकन करने की बौद्धिक क्षमता उत्पन्न करना होना चाहिए।

बाबा साहेब के अनुसार - शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। समाज के विकास के लिए उसके सदस्यों का चरित्रवान होना आवश्यक है क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति ही अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जिससे की विद्यार्थी अपनी समस्याओं का समाधान अनुसंधान पूर्ण ढंग से कर सकें तथा ही तथ्य विचारों की तह तक जाकर उनका विश्लेषण कर सकें तथा साथ ही तथ्य दे सकें।

बाबा साहेब के अनुसार सामाजिक समानता व लोकतान्त्रिक भावना का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तभी हम आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य नैतिक मूल्यों का विकास भी होना चाहिए, ऐसा भी उनका विचार था। नैतिक मूल्य ही मनुष्य में मैत्रीभाव उत्पन्न करते हैं। नैतिक मूल्यों के अन्तर्गत स्वतंत्रता, समता व भातृत्व भाव के विकास पर बल दिया। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना तथा उसके विवेक और जमीर को जागृत करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीवित अवस्था में ही उसके पापों से मुक्ति दिला होना चाहिए न कि मृत्यु के बाद परलोक में।

बाबा साहेब के अनुसार पाठ्यक्रम

एक शिक्षा शास्त्री की भाँति बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर किसी निश्चित पाठ्यक्रम की योजना प्रस्तुत नहीं की। उन्होंने शिक्षा को जीवन का अभिन्न अंग मानकर, सामाजिक समता व

लोकतान्त्रिक भावना का विकास करने वाले विषयों को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया।

बाबा साहेब पाठ्यक्रम में निर्माण में शिक्षकों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। पारम्परिक जडमूलक पाठ्यक्रम के वे विरोधी थे। उनके विचार से पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में बदलाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि "विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम की विस्तृत रूप रेखा बनानी चाहिए और शिक्षकों को उस रूपरेखा पर अपना चिन्तन पूर्ण व्याख्यान देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस विचार से लगता है कि वे दर्शन शास्त्र व तर्कशास्त्र को पाठ्यक्रम में जगह देने के पक्ष में थे।

बाबा साहेब लोगो में राजनीतिक चेतना जाग्रत करना चाहते थे। इससे ज्ञात होता है कि व राजनीति शास्त्र को भी पाठ्यक्रम में स्थान देने के पक्षकार थे। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण उन्होंने कृषि को शिक्षा से जोड़ने हेतु इसे पाठ्यक्रम में जगह दी। बाबा साहेब के औद्योगिक शिक्षा व यान्त्रिक शिक्षा संबंधी विचारों से लगता है कि वे विज्ञान विषयों को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के पक्ष में थे। बाबा साहेब धार्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान देने के पक्ष में थे। लेकिन वे किसी धर्म विशेष या साम्प्रदायिक की शिक्षा न देकर सभी धर्मों के सारभूत तत्वों की जानकारी देने के पक्ष में थे। बाबा साहेब ने नैतिक शिक्षा का भी समर्थन किया है। किन्तु वे नैतिकता को दैवीय या परलोक से सम्बन्धित नहीं मानते थे बल्कि सामाजिक संबंधों का परिणाम मानते हैं।

बाबा साहेब के अनुसार शिक्षण विधियाँ

बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर को प्रचलित शिक्षण विधि में कोई आस्था नहीं थी। इस शिक्षण विधि में वे आमूल -चूल परिवर्तन चाहते थे। वे शिक्षण का माध्यम मातृभाषा को बनाना चाहते थे तथा शिक्षण की लोकतान्त्रिक विधि के पक्ष में थे जिससे कि सभी विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें।

बाबा साहेब ऐसी शिक्षण विधि के समर्थक थे जिसमें अध्यापक केवल पुस्तकीय विद्वान नहीं हो बल्कि स्पष्ट आवाज में उसका व्यक्तित्व हो। इस प्रकार बाबा साहेब शिक्षण को क्रियात्मक व राजीव बनाना चाहते थे। इस दृष्टि से वे वाद विवाद विधि के समर्थक प्रतीत होते हैं। शिक्षण में सजीवता लाने के लिए बालक की रुचियों व संवेगों पर आधारित शिक्षण विधि के पक्ष में थे। इसी कारण जिस भी कॉलेज में उन्होंने शिक्षण कराया वहाँ छात्रों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी।

उन्होंने प्राचीन तथा आधुनिक समाज का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस आधार पर यह कहा जाता है कि समाज शास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण हेतु वे तुलनात्मक विधिके हिमायती थे। बाबा साहेब समस्याओं का समाधान अनुसंधानात्मक तरीके से करने तथा तथ्यों व विचारों की तह में जाकर उनका विश्लेषण करने तथा उन्हें तार्किक कसौटी पर कसने पर जोर देते थे। इस लिहाज से वे खोज उपागम, समस्या समाधान विधि तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा शिक्षण कराने के पक्षधर लगते हैं। अपने शिक्षक प्रो.डी.वी. से उन्होंने “यर्थावादी पद्धति” ग्रहण की तथा उसके माध्यम से भी शिक्षण कराने संबंधी विचार प्रस्तुत किये।

बाबा साहेब के अनुसार विद्यालय

बाबा साहेब विद्यालय को एक सामाजिक संस्था मानते हैं। समाज अपने सदस्यों की शिक्षा के लिए इनका निर्माण करता है। वे विद्यालयों को ऐसा बनाना चाहते थे जो समाज को नया रूप देने में सहायक हो। इसलिए वे परम्परागत विद्यालयों के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनमें बच्चों को पूर्व निश्चित परम्पराओं व आदर्शों का ज्ञान कराया जाता है जो कि सामाजिक समरसता व विकास में बाधक है। बाबा साहेब ने कहा कि “विद्यालयों की स्थापना बच्चों को बारहखड़ी पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उनके मन को सुसंस्कृत कर समाजहितोपयोगी बनाने के लिए होनी चाहिए। विद्यालय श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने के कारखाने हैं अर्थात् कारखाने का मिस्त्री जितना हाशियार होगा, वहां से निकलने वाला माल भी उतना ही उत्तम होगा।

बाबा साहेब विद्यालय को समाज का लघुरूप मानते थे, इसलिए उन्होंने विद्यालय में सामूहिक शिक्षा पद्धति पर बल दिया तथा विद्यालय में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के वातावरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को आत्मानुभूति व आत्मोन्नति करना व नैतिक विकास हो। इस सबके लिए सामाजिक आदर्शों मूल्यों व नैतिकता से पूर्ण उच्च सामाजिक पर्यावरण की आवश्यकता है जो कि विद्यालयों में ही सम्भव है। विद्यालय में विद्वान शिक्षक के द्वारा शील का निर्माण किया जाता है और बालकों का नैतिक विकास होता है।

बाबा साहेब के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी संबंध

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुसार शिक्षक को ज्ञान पिपासु, विद्या व्यासंग और आत्मविश्वसी होना चाहिए वे शिक्षक को राष्ट्र का सारथी मानते थे। इसलिए उन्होंने शिक्षक को बुद्धि से होशियार वृत्ति से निरीक्षक व विषय का मर्मज्ञ होने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का आत्मिक उन्नयन करना है और वह तभी सम्भव है जबकि शिक्षक योग्य हो।

बाबा साहेब ने शिक्षक के लोकतान्त्रिक व सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि शिक्षक का आचरण भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। उसे उदार हृदय होना चाहिए न कि संकीर्ण मानसिकता वाला। शिक्षक को अपने विषय के उच्चतम तथा नवीनतम ज्ञान से युक्त होना चाहिए। उसे बिना पूर्वाग्रहों से ग्रसित हुए निष्पक्षतापूर्वक छात्रों का मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक को नैतिक गुणों से युक्त और शीलवान होना चाहिए तभी वह अपने शिष्य में नैतिक मूल्यों का विकास और शील का निर्माण कर सकेगा। शिक्षार्थी के संबंध में बाबा साहेब ने कहा कि उसे जिज्ञासु प्रवृत्ति तथा ज्ञान लालसा से युक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक को नैतिक गुणों से युक्त और शीलवान होना चाहिए।

शिक्षार्थी के संबंध की जिज्ञासा ही वह मूल चाह है। जिसके कारण वह ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षार्थी को अपने अध्यापक पर अटूट विश्वास होना चाहिए जैसा बाबा साहेब को अपने शिक्षकों प्रो. सेलिगमन व जॉन डी.वी. इत्यादी था। उन्होंने कहा कि शिक्षार्थी में अपने शिक्षक के प्रति श्रद्धा तो होनी चाहिए लेकिन उसमें स्वतंत्र चिन्तन की शक्ति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वह शिक्षक की हर बात पर अन्धाभक्त की भांति भरोसा कर ले। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षक - शिक्षार्थी संबंध आत्मीयतापूर्ण तथा मित्रतापूर्ण होने चाहिए। छात्र को एक मित्र की भांति शिक्षक को अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहिए तथा शिक्षक को यथासम्भव समस्या का समाधान कर छात्र की सहायता करनी चाहिए।

बाबा साहेब के अनुसार स्त्री शिक्षा

यदि हम गहनता से भारत के पतन और उन्नति का अध्ययन करें तो पायेंगे कि इसका मूल कारण स्त्रियों की अशिक्षा है। यही कारण है कि जो देश कभी विश्व गुरु कहलाता था। आज उसकी दयनीय दशा है। साक्षरता में हम काफी पिछड़े हुए हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि दलितों व स्त्रियों की शिक्षा के बिना देश के विकास की बात करना दिन में सपने देखने जैसा है इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया और कहा कि स्त्रियों को भी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे देश के विकास में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे सकें।

बाबा साहेब कहते हैं कि आज की कन्याएँ ही कल समाज में विभिन्न भूमिकाएं जैसे- सास, बहू, माता आदि निभायेंगी। अतः यदि वे शिक्षित व सुसंस्कारित होंगी तो समाज का विकास स्वतः ही हो जायेगा। क्योंकि स्त्रियाँ ही घर बनाने व बिगाड़ने वाली हैं। यदि घर की नारी शिक्षित व सुसंस्कारित है

तो उस घर के बच्चे भी उन्नति के पथ पर होंगे और यदि सम्पूर्ण देश की नारियाँ शिक्षित होंगी तो देश भी विकास के पथ पर होगा और देश एक बार पुनः अपनी खोई विश्व गुरु की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकेगा।

शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान

बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने देश के शिक्षा जगत में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। शिक्षा के जगत में उनका महान कार्य संविधान में शिक्षा से सम्बन्धित नवीन उपबन्ध बनाना था। विदेशों में अध्ययन तथा भ्रमण के बाद उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि जिस राष्ट्र के अधिकतम नागरिक शिक्षित है वह राष्ट्र उतना ही विकसित है। अतः शिक्षा को विकास का मूलमंत्र मानकर उन्होंने संविधान में शिक्षा का प्रावधान किया। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्प करने वाली, प्राचीन प्रवृत्त विधियों को शून्य घोषित कर दिया है तथा मौलिक अधिकारों को छिनने या कम करने वाली कोई विधि नहीं बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 15के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। साथ ही राज्य की सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति-जनजाति की उन्नति के लिए विशेष उपबन्ध करने तथा स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबन्ध करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति इस प्रकार की रिपोर्टकी एक प्रतिलिपि उस पर की गई कार्यवाही को स्पष्ट करने वाले जापन सहित, संसद में प्रस्तुत करेगा।

बाबा साहेब के अनुसार दलित शिक्षा-बाबा साहेब दलित शिक्षा के सबसे बड़े हिमायती थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही मनुष्य को विवेक का बोध होता है और विवेकशील व्यक्ति ही अच्छे बुरे में अन्तर कर पाता है। इसलिए दलितों के सोये हुए विवेक को जागृत करने तथा उनके जीवन स्तर को उच्च करने के लिए उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण व आवश्यक माना।

बाबा साहेब ने कहा कि शिक्षा ही एक मात्र ऐसा शस्त्र है जो दलित वर्ग में व्याप्त अज्ञान, दरिद्रता और अंधविश्वास से मुक्ति दिला सकता है। शिक्षा ही उनके स्वाभिमान को जगाकर उन्हें अन्याय शोषण तथा बेगारी के खिलाफ संघर्ष करने के काबिल बना सकती है।

उन्होंने कहा कि "शिक्षा दलित वर्ग के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शिक्षित व्यक्ति यह अहसास कर सकता है कि वे कौनसे कारण हैं जिनके कारण उसकी प्रगति रुकी हुई है और उसे दूसरों का गुलाम बनकर रहना पड़ रहा है। शिक्षा के माध्यम से वे दलित वर्ग में विकसित हीनता की ग्रन्थि को समाप्त करना चाहते थे।

बाबा साहेब का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा दलितों में मत परिवर्तन होगा तथा वे अपने पुस्तेनी कामों को छोड़कर नये प्रतिष्ठित कामों को करने में रुचि लेंगे। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक तथा यान्त्रिक शिक्षा से ही दलितों का उद्धार सम्भव है। शिक्षा के द्वारा ही दलित समाज विषमता और सामाजिक दासता की जंजीरों को तोड़ सकता है शिक्षा दलितों में गरीबी अन्याय तथा पिछड़ेपन हितकारी सभा के अन्तर्गत बहिष्कृत शिक्षण मण्डल तथा छात्रावासों की स्थापना की। 1945 में उन्होंने पीपुल्स एज्युकेशन सोसायटी की स्थापना की जिसके अन्तर्गत सिद्धार्थ कॉलेज तथा मिलिन्द कॉलेज की स्थापना की।

बाबा साहेब के शिक्षा संबंधी विचारों की सार्थकता

डॉ अंबेडकर स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पी, उच्च क्षमता एवं विश्वसनीयता के सुयोग्य प्रशासक के साथ -साथ एक महान शिक्षाविद् एवं शिक्षा के प्रचारक भी थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जिससे ज्ञान का ताला खुल सकता है और यह सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बनती है। आदमी और पशु दोनों ही प्राकृतिक रूप से जीव होते हैं, परन्तु शिक्षित होकर व्यक्ति पशु तुल्य नहीं रहता और अपनी बौद्धिक क्षमता तथा सक्रियता को सशक्त बना लेता है। इसलिए अपने भाषणों में उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाया और बालक बालिकाओं की शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देन का आग्रह किया। वे शिक्षा को केवल बच्चों के विकास का जरिया या जीवन -यापन का माध्यम ही नहीं मानते थे अपितु उसे समाज परिवर्तन एवं सामाजिक क्रांति को प्रारम्भ करने का सशक्त माध्यम मानते थे।

डॉ. अंबेडकर के अनुसार शिक्षा से ही मनुष्य को विवेक का बोध होता है, उसमें मानवीय मूल्यों का विकास होता है, सदाचार और शील का विकास होता है और इंसानियत व राष्ट्रीयता का बोध होता है, शिक्षा रोजगार के साथ साथ सम्मान प्राप्त करने का भी साधन है। शिक्षा से ही समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और देश प्रेम की भावना का जन्म होता है। शिक्षा से ही मनुष्य को स्वयं में निहित अज्ञान, अशिक्षा एवं अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है और अन्याय, शोषण या दबाव के विरुद्ध संघर्ष करने की काबलियत प्राप्त होती है। शिक्षा के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। शिक्षा से ही इंसान जाग्रत होता है और नये समाज का निर्माण होता है।

विद्या, विनय और शील ये तीनों उनके उपास्य देव थे। विद्या के बिना मनुष्य को कहीं भी शांति और मानवता के दर्शन नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य को अन्न की आवश्यकता है वैसे ही विद्या की भी है। बिना ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है। शिक्षा ही

एक ऐसा श्रोत है जिससे आत्म-सम्मान की उत्पत्ति होती है। आत्म सम्मान जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके बिना व्यक्ति का महत्व शून्य है। आत्म सम्मान सहित योग्यता से जीने से ही समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है और अपनी पहचान बनायी जा सकती है। उनका मानना था कि इन सब का अहसास ज्ञान अर्जित करने के बाद ही संभव हो पाता है परन्तु इसके साथ-साथ यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि चरित्र एवं नम्रता के बिना एक शिक्षित होता है। यदि उसकी शिक्षा निर्धनों एवं जरूरतमंदों के कल्याण के लिए नहीं है, तो वह व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप है। चरित्र शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

देश के आधुनिकीकरण में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है यह मानते हुए डॉ. अंबेडकर ने जनता के लिए सामूहिक शिक्षा पद्धति पर बल दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा विकासशील देश की आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। यह सामाजिक परिवर्तन का माध्यम होनी चाहिए और इसे बदलते समय की हकीकतों एवं चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षा सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक क्रान्ति का मूल आधार है, इसलिए उनके द्वारा दिये गए 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष' इस मूलमंत्र में ही उनके शैक्षिक विचारों का सारांश है।

एक साधारण दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद डॉ. अंबेडकर ने अपनी असाधारण प्रतिभा और अथक परिश्रम से जीवन के अनेक क्षेत्रों में विशिष्टता हासिल की और शिखर स्थानों तक पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने देश और विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त की।

वे हर शिक्षार्थी को हर दशा में न्याय दिलवाना चाहते थे। इस संबंध में एक रोचक तथ्य है कि एक बार उन्होंने एक शिक्षार्थी को 150 अंकों में 144 अंक दे दिये। वास्तव में उस शिक्षार्थी ने प्रश्नों के उत्तर इस चतुराई और खूबी से दिये थे कि उन्हें ऐसा लगा, कि उसे पूरे अंक ही दिये जाएँ। किन्तु उनका विषय गणित सरीखा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने पूरे अंक न देकर छह अंक काट दिए थे। जब वह उत्तर पुस्तिका उन्होंने उपाधि प्रदान करने वाले महाविद्यालय के अधिकारियों को लौटाई, तो उनमें से कई अधिकारियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि यह उत्तर पुस्तिका तो दूसरे महाविद्यालय के विद्यार्थी की है और उसके प्रथम स्थान प्राप्त करने की सम्भावना है। उन्होंने वह उत्तर पुस्तिका वापिस जाँच करने के लिए उनके पास भिजवाई। उन्होंने उसे फिर वैसे ही वापस लौटा दिया और लिख दिया कि यह उन का अंतिम निर्णय है। उनका यह उत्तर पढ़कर, उन अधिकारियों ने वह उत्तर पुस्तिका अन्य परीक्षकों के पास भिजवाई। उन परीक्षकों में से किसी ने 144 अंकों में से कुछ अंक अधिक दिए तो कुछ ने एकाध

कम। अन्ततः उन अधिकारियों को डॉ. अंबेडकर का निर्णय मानना पड़ा।

डॉ. अंबेडकर ने सभी वर्गों के पुरुषों और स्त्रियों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता प्रतिपादित की ताकि उनके सामाजिक एवं आर्थिक दर्जे में वृद्धि हो सके। सभी व्यक्तियों को इतनी शिक्षा मिल सके कि कम से कम वे पढ़-लिख सकें। इसलिए सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि वे शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा सस्ता एवं सुलभ रखे।

विद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा के विभिन्न आयामों, वर्ग विशेष की शिक्षा के संबंध में उनके विचार काफी स्पष्ट थे। वे मानते थे कि प्राथमिक शिक्षा से ही सभी वर्गों को आवश्यकतानुसार शिक्षित किया जा सकता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हर बालक को प्राथमिक शाला में प्रवेश मिले और वह इतनी शिक्षा ले कि जीवन में उस साक्षरता का उपयोग हो सके। शासन को शिक्षा के लिए काफी धनराशि खर्च करनी चाहिए जिससे स्कूल जाने वाला प्रत्येक बालक चौथी कक्षा तक पहुँच जाए।

उच्च शिक्षा के संबंध में डॉ. अंबेडकर का मत था कि शिक्षकों को पाठ्यक्रम बनाने की स्वतंत्रता दी जाए तथा वे ही विद्यार्थियों का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से करें। वे पारंपरिक जड़मूलक पाठ्यक्रम का विरोध करते थे। उनके अनुसार विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और शिक्षकों को इस बात की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वे उस रूपरेखा के आधार पर अपना चिंतन प्रस्तुत करें और उस पर चर्चा करें। उनके अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों को विषय के उच्चतम और नवीनतम ज्ञान से युक्त होना चाहिए। विश्वविद्यालय एक निश्चित परिधि में परीक्षा संचालन या उपाधि वितरण के लिए नहीं होते बल्कि शिक्षा और शोध के केंद्र होते हैं, ऐसा उनका मत था।

डॉ. अंबेडकर यह मानते थे कि विश्वविद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य और कार्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्तित्व का निर्माण करना है। उसका उद्देश्य तथ्य और सिद्धान्तों को विद्यार्थियों के दिमाग में भर देना न होकर उनमें सिद्धान्तों का मूल्यांकन करने की क्षमता पैदा करना, व्यक्तित्व का विकास, बौद्धिक को परिपक्व करना व उन्हें सत्य के निकट पहुँचाना है।

शिक्षा को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी प्राध्यपकों (सरकारी या गैर सरकारी) को समान वेतन मिलना चाहिए। समान वेतन और काम का विभाजन बराबर हो जाए तो शिक्षा का कार्य और शोध कार्य भी शीघ्रता से सम्पन्न होंगे। ऐसा उनका विचार था। उनके अनुसार प्राध्यापक को केवल किताबी

विद्वान नहीं बनना चाहिए। उसे स्पष्ट वक्ता भी होना चाहिए। अध्यापक को अध्ययनशील होना चाहिए और उसे विद्यार्थियों के सुप्तगुणों को विकसित करना आना चाहिए।

उन्होंने अपने राजनीतिक दल 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' में जिन उद्देश्यों को अपनाया, वे थे- निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को व्यवहार में लाना, प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार एवं विस्तार करना, तकनीकी शिक्षा के महत्व को समझना, पिछड़े वर्गों के योग्य विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर विदेशों के उच्च शिक्षा हेतु भेजना व प्रान्तीय विश्वविद्यालयों का पुर्नगठन और नये क्षेत्रीय विश्वविद्यालय खोलना इत्यादि। डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा के निजीकरण का विरोध किया जिसके कारण शिक्षा मंहगी होती जा रही थी। उनका मानना था कि शिक्षा कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। यह तो एक प्रक्रिया या प्रवाह है जिसे हर व्यक्ति की पहुँच के अन्दर लाया जाना चाहिए। इसलिए विभागों की नीति यह होनी चाहिए। कि वे उच्च शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा सस्ता एवं सुलभ रखें

डॉ. अंबेडकर ने उपरोक्त रूप से पर्यावरण की शिक्षा पर भी बल दिया। 1953 में औरंगाबाद प्रवास काल में वे किसी भी आगन्तुक अथवा अतिथि से तभी मिलते थे जबकि वह कॉलेज कम्पाउण्ड में एक वृक्ष लगाने को तैयार हो जाता था। उनकी इस अनोखी शर्त के कारण कुछ ही दिनों में कॉलेज कम्पाउण्ड में सैंकड़ों वृक्ष लग गए।

डॉ. अंबेडकर महिला शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। इसका एक उदाहरण इस घटना से मिलता है- एक बार डॉ. अंबेडकर ने अपने पिता के एक मित्र श्री जमेदार को अमेरिका से एक पत्र लिखा। जिसमें कहा गया था कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि प्रगति हो सके। आप अपनी लड़की को अब जो पढा रहे हैं इसका जरूर प्रतिफल मिलेगा। आपसे जो संबंधित हैं, उन्हें आप शिक्षा का महत्व अवश्य बताएँ। शिक्षा महिला और पुरुष दोनों के लिए अति आवश्यक है। यदि उन्नति या विकास कर सकेगे। जैसे आप हैं वैसे आपके बच्चे होंगे। बच्चों के जीवन को एक गुणी जीवन में ढालिए जो आगे चलकर उनके सहायक बनें।

डॉ. अंबेडकर ने अपने जीवन मंच पर उनके महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की। वह शिक्षा को राष्ट्रनिर्माण को गतिविध मानते थे और दलितों के उत्थान के लिए सबसे सशक्त धुरी। वह अपने दलित भाइयों में शिक्षा के प्रसार के प्रति पूरी तरह जागरूक थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा के व्यापक प्रसार से ही भारत के करोड़ों उत्पीड़ित लोगों को उनके मानवाधिकार व देश के नागरिक की हैसियत से प्राप्त अधिकारों के बारे में जागरूक बनाया जा सकता

है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा के बिना उनकी उन्नति की संभावना बहुत क्षीण है।

शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इस विचार से अभिप्रेरित डॉ. अंबेडकर यह मानते थे कि दलितों को अपनी दुस्सह अवन्त परिस्थितियों को महसूस करने के लिए जानार्जन की आवश्यकता है दलित वर्ग को नागरिक अधिकार दिलाने के लिए अंबेडकर हमेशा जागृत रहते थे और उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के उपदेश देते हुये कहा कि "वे शिक्षा प्राप्त का प्रयास करें, आंदोलन करें, क्योंकि उनका यह संघर्ष आत्मोन्नति का संघर्ष है जो किसी सामाजिक या भौतिक सुख से प्रेरित न होकर मानवीय अधिकार और मनुष्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए है।" डॉ. अंबेडकर एक व्यावहारिक लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। सामाजिक संबंधों के प्रबंध के लिए आवश्यक लोकतंत्रीय मशीनरी में उनका दृढ विश्वास था। भारतीय समाज में उन्होंने लोकतंत्र के संकट के रूप में गरीबी, अज्ञानता, जाति भेद भाव को पाया। इसलिए उनके अनुसार शैक्षिक सुविधाएँ और आर्थिक सहायता उन लोगों को प्रदान की जानी चाहिए जो अशिक्षित और पिछड़े हैं। साथ ही उन्हें भी जो जाति व्यवस्था को नष्ट करना तथा लोकतंत्र के हितों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। उनका कहना था कि यदि हम भारतीय समाज के निम्न वर्ग को शिक्षा देते हैं तो जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकेगा और भारत में लोकतंत्र का स्वरूप सुधरेगा।

डॉ. अंबेडकर मानते थे कि शिक्षा की व्यापक कमी और अज्ञानता लोकतंत्र की गम्भीर कमजोरियाँ हैं। भारत में लोकतंत्र तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक की लोग राजनीतिक दलों और उनके कार्यक्रमों को विवेकपूर्ण और व्यवहारिक रूप से समझकर अपने मत का प्रयोग करने योग्य नहीं हो जाते। इसलिए डॉ. अंबेडकर के अनुसार, गरीब लोगों को शिक्षित करना और उनमें राजनीतिक चेतना और संवैधानिक गतिविधियों के प्रति उनमें गम्भीर समझदारी का विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें शिक्षित करने का अर्थ है लोकतंत्र और राजनीति में शांति और न्याय को सुनिश्चित करना।

डॉ. अंबेडकर के शिक्षा संबंधी उनके विचारों की वर्तमान में भी उतनी ही प्रासंगिता है जितनी उस समय थी। अभी हाल ही में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में चिन्हित शैक्षिक उद्देश्य जैसे विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई, नयी स्थितियों का लचीलेपन और रचानात्मक तरीके से सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति और सामाजिक बदलाव में योगदान

देने के लिए काम करने की क्षमता, उनके विचारों से प्रेरित प्रतीत होते हैं। इस दस्तावेज में कहा गया है कि सारे बच्चों को जाति, धर्म संबंधी अंतर, लिंग संबंधी चुनौतियों से निरपेक्ष रहते हुए ऐसा स्कूली माहौल मुहैया कराया जाना चाहिए जो उनकी शिक्षा ग्रहण करने में मदद पहुँचाए तथा उन्हें सशक्त बनाए। सामाजिक विज्ञान के सारे पहलुओं में जेंडर के संदर्भ में न्याय और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के मसलों को लेकर जागरूकता तथा अल्पसंख्यक संवेदनशीलता के प्रति सजग होने की बात कही गयी है यहाँ इस बात पर भी बल है कि प्राथमिक शिक्षा में आत्म-सम्मान और नैतिकता के विकास तथा बच्चों में रचनात्मकता के पोषण की आवश्यकता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बच्चों को पर्यावरण व पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना भी पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण सरोकार है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि डॉ. अंबेडकर के महान विचार हर काल में शिक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन करने में सहायक रहेंगे।

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा सुझाये गये शिक्षा संबंधी आयाम भारतीय सामाजिक संरचनाओं का प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए सार्थक कदम था। बाबा साहेब शिक्षा को देश तथा समाज के उत्थान एवं विकास का साधन तो मानते ही थे साथ ही साथ सामाजिक स्वतंत्रता, समता और भातृत्व की भावना के विकास का ऐतिहासिक मार्ग की मानते थे। शिक्षा का परमपूज्य अराध्य मानते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य न शांति पा सकता है और न मनुष्यता। जिस प्रकार वृक्ष को सजीव रखने के लिए पानी की जरूरत है, जिस प्रकार मनुष्य को अपने शरीर के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक अस्तित्व और संरचना के लिए शिक्षा की जरूरत है। अतः मनुष्य को स्वयं शिक्षित रहते हुए दूसरों को भी शिक्षित करते रहना चाहिए।

संदर्भ

1. सांभरिया रतन कुमार - डॉ. अंबेडकर एक प्रेरक जीवन, अम्बे0 सा0 अका0 , जयपुर,
सिंह रामगोपाल - डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक चिन्तन, जैन ब्रदर्स, जयपुर,
2. लोढ़ा महावीर - नैतिक शिक्षा विविध आयाम, राज. हि. ग्र. अका., जयपुर,

भटनागर सुरेश - शिक्षा मनोविज्ञान, सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ,

3. ढेंगरी दत्तोपंथ - डॉ. अंबेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा, लोकहित प्रका0, लखनऊ,
4. पाठक एवं त्यागी - शिक्षा के सिद्धान्त, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा,
5. मिश्र किशोर - प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, कौशाम्बी प्रेस, काशी
6. रावत पी.एस. - प्राचीन के आधुनिक शिक्षा का इतिहास, आगरा,
7. ओढ एस.के. - शिक्षा के नूतन आयाम, राज, हि.ग्र, अका, जयपुर

Corresponding Author

Dr. S. K. Mahto*

Principal, Thakur Durgpal Singh Memorial B.Ed. College, RRBM University, Alwar, Rajasthan